

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1403
जिसका उत्तर मंगलवार 25 जुलाई, 2017 को दिया जाना है

एचआईईएमडीए योजना

1403. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:

श्री जॉर्ज बेकर:

प्रो रिचर्ड हे:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारी उद्योग निर्यात एवं बाजार विकास सहायता योजना (एचआईईएमडीए) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित की गई, स्वीकृत की गई एवं उपयोग में लाई गई निधियों का गुजरात सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;
- (घ) उक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं अब तक हासिल की गई उपलब्धियां क्या हैं और लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ङ) क्या सरकार को निधियों के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)**

(क): सरकार ने वर्ष 2016 में राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति का शुभारंभ किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ केपिटल गुड्स सेक्टर के लिए एक दीर्घकालिक निर्यात संवर्धन के रूप में भारी उद्योग निर्यात एवं बाजार विकास सहायता (एचआईईएमडीए) की परिकल्पना की गई है।

(ख) से (ङ): उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।
